Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

मीडिया रीलिज

न्याय में विलम्ब न्याय के इनकार के बराबर

सांसद श्री नथवाणीजी का प्रधान मंत्री को पत्र

अप्रैल 5, 2010 : कोर्ट केसों के फैसलों में होता विलम्ब कोर्ट में जाने के उद्देश्य को परास्त कर देता है और न्याय देने में होता विलम्ब न्याय का इनकार करने के बराबर है । राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी ने इन शब्दों में न्यायतंत्र के कार्य की स्थिति के सम्बंध में चिन्ता जताते हुए विस्तार से एक पत्र हाल ही में प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह को लिखा है ।

श्री नथवाणी; जो कि कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें, विधि एवम् न्याय सम्बंधी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं; अपने पत्र में न्याय तंत्र सम्बंधी कई चौंकानेवाले तथ्य उजागर करते हैं । देश के सर्वोच्च सत्ताधीश को आपने पत्र में यह लिखा है कि 31 दिसम्बर 2009 की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में 55,791 केस पेन्डिग थे । राज्यों की 21 हाइ कोर्टों में सिविल एवम् आपराधिक पेन्डिग मामलों की संख्या 41,42,023 थी । नीचे की अदालतों में तो पेन्डिग केसों की संख्या 2,72,00,000 (दो करोड़ बहत्तर लाख) थी ।

न्यायाधीशों की कमी के बारे में आपने आगे लिखा है कि नीचे की अदालतों में मंजूर 16,746 जजों के सामने केवल 13,946 ही कार्यरत थे और इस प्रकार 2800 स्थान रिक्त थे । आपने जजों पर बढ़ते कार्यभार की बात दर्शाते हुए कहा कि देश में प्रति न्यायाधीश 1950.38 मामलों का औसत है जो कि बहुत ही ज्यादा है । प्रति न्यायाधीश 200 से 500 केसों का औसत सभी तरह से वाजिब एवम् मुनासिब है । इस भार को कम करने हेतु आपने प्रधान मंत्रीजी को रिक्त पदों को शीघ्र भरने और नए स्थान मंजूर करने की गुजारिश भी की ।

श्री नथवाणीजी ने अपने पत्र में फास्ट-ट्रैक कोर्टों के प्रोत्साहक कार्य का जिक्र करते हुए अधिकाधिक मामले इन विशेष अदालतों में तबदील करने की बात कही और यह भी कहा कि देश में अधिक से अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएं। इन कोर्टोंमें भी रिक्त-स्थानों को शीघ्रातिशीघ्र भरने का आपने प्रधान मंत्रीजी से अनुरोध किया।

श्री नथवाणीजी ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का संदर्भ देकर देश में ऐसे 5067 ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लक्ष्य के सामने सिर्फ 95 की स्थापना पर निराशा व्यक्त की। आपने लिखा कि चूं कि ग्राम न्यायालय तो केन्द्र की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत आते हैं; राज्यों को ये लक्ष्यांक प्राप्त करने के लिए जोर देकर कहा जा सकता है।

आपने देश में आपराधिक अदालतों का भार कम करने के उद्देश्य से कई छोटे और मामूली अपराधों को अपराध की व्याख्या से हटाने और इन्हें आपराधिक अदालतों के क्षेत्राधिकार से दूर करने की बात कही। आपने कहा कि ऐसे मामले उन्हीं सत्ताधीशों को दिए जाएं जिन्होंने इन मामलों को उठाया हो।

आगे श्री नथवाणी ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की धीमी एवम् उबाऊ प्रक्रिया की बात कही और ग़ैर संवैधानिक एजन्सियों के आक्षेपों और दावों पर न्यायाधीशों को ट्रान्सफर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की।

प्रधान मंत्री को न्यायपालिका के प्रश्नों पर ध्यान देने के लिए अपनी सत्ता का उपयोग करने का अनुरोध करते हुए श्री नथवाणीजी ने प्रधान मंत्रीजी को यह बताया कि इन मुद्दों पर उन्होंने विधि और न्याय मंत्री को अलग से विस्तृत पत्र लिखा है।

★ ★ ★